न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 134/2022 राजस्व अपील

1. गंगल्या पुत्र हट्या जाति माली निवासी गढ तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 10.09.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गंगल्या मुकदमा नम्बर 72/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री महेन्द्र प्रसाद मीना, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 09.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का राणौली द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में खसरा नम्बर 784/746 रकबा कुल रकबा 27.68 है. किस्म चरागाह में से 0.02 है. पर आवास बनाकर एवं 0.13 है. पर चरी बाजरा बोकर कुल 0.15 है. पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर उप तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये। नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने अदालत में हाजिर होकर कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीालान्ट का आज दिन तक कोई कब्जा नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही ड्रोप करने का आश्वासन देकर अपीलान्ट को वापिस भिजवा दिया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.09.2018 पारित कर अपीलान्ट को बेदखली, पेनल्टी व एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील विधि के नैसर्गिक एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने का कथन किया, किन्तु साक्ष्य व सबूत पेश करने में असमर्थ रहा। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है एवं ना ही अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की ओर से भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.15 है. वाके ग्राम गढ पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं उक्त चरागाह भूमि पर भविष्य में कभी भी अतिक्रमण नहीं करना व्यक्त करते हुये शपथ पत्र अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में फोटोग्राफ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट गंगल्या पुत्र हट्टया जाति माली निवासी गढ तहसील बहरावण्डा जिला दौसा द्वारा ग्राम गढ स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 784/746 रकबा 0.02 है. पर आवास बनाकर एवं रकबा 0.13 है. पर चरी बाजरा बोकर कुल 0.15 है. पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 10.09.2018 पारित कर अपीलान्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्व अपील प्रकरण संख्या 77/2019 गंगल्या बनाम राज. सरकार पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2020 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.09.2018 को यथावत रखा गया था। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रकरण संख्या 77/2019 गंगल्या बनाम राज. सरकार पेश होने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2020 द्वारा अपील खारिज की जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर पुनः अपील इसी न्यायालय में पेश की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण संख्या 72/2018 सरकार बनाम गंगल्या में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested